Hem land Yadav Vishwavidyalay. Durg (C.G.)

FORMATE-1

COLLEGE NAME- SAMADHAN COLLEGE, BEMETARA

PRINCIPAL NAME - DR. P.L. YADAV

PHONE No. - 07824-299001

SESSION- 2022-23

MOBILE NO.- 9406204013, 9131629036

| INCIPAL NAM MAIL ID- sam | adh: | anc | olle | ge.l | beme | tra | @gn | nail. | com | | | | | | | | OBC | | | | MIN | ORITY | | | тот | AL | |
|-----------------------------|------|--------|-------|--------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|---------|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|------|--------|-----------------|-------|
| TAIL III SAIN | | | en | | | | | SC | | | _ | | T - | | | | | _ | | | emale | Third | Total | Male | Female | Third Gender | Total |
| lass Name | Male | emale. | Third | Gender | Total | Male | emale | Pirt | Cender | Total | Male | emale | Third | Total | Male | Fernale | Third | Gender | otal | Male | Fern | Cen | | | | 0 | 4 |
| | - | - | - | _ | | | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0. | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| E.Com. I | 2 | ì | + ' | 9 | 3 | 0 | + | +- | - | - | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | | 4 |
| B.Com. II | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | - 1 | 0 | - | 0 | 1 | _ | 0 | - | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
| B.Com. II | 0 | Ü | | 0 | 9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | , | 0 | 6 | 1 2 | 1 | 0 | в | 0. | 0 | 0 | 0- | 9 | 3 | 0 | 12 |
| ECAI | 2 | 0 | | 0 | 2 | 1 | 1 | _ | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 7 | 1 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 |
| B.C.A. II | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | + | - | 7 | 0 | 0 | 0. | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| B.C.A. III | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 |
| BBAT | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.B.A. 11 | .0 | 0 | | 0 | 0 | 1 |) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | . 0 | 0 | 0 |
| REA III | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | | 0 | 0 | 2 | 0. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| B.5C. (C.5.) I | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 5 | 0 | 0. | 0 | 0 | 2 | - 3 | 0 | 5 |
| B.SC (C.S.) II | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | _ | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| BSC (CS) III | 0 | | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +- | | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | О | 0 | o |
| B.A.1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 0 |
| BAB | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| EA 10 | 0 | | ٥. | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | + | - | | 0 | 8 | - o | 17 | + | +- | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 2 |
| PGDCA | 0 | | 2 | 0 | 1 | : | 2 | 5 | 0 | 7 | - 0 | - | - | _ | - | 9 | 11 | | 46 | +- | - | - | 0 | 68 | 32 | 0 | 1 |
| · 8441 | 2 | | 7 | 0 | | 9 | 14 | 7 | 0 | - | - | - | - | | - | 33 | 18 | 0 | 51 | - | - | 0 | 2 | 50 | 49 | 0 | 9 |
| B.E.A. II | 1 | | 5 | 0 | | 9 | 6 | 9 | 0 | 15 | - | 1 | 7 | - | - | | _ | | - | - | , | 2 0 | 4 | 170 | 113 | 0 | 2 |
| GRAND TOTA | 1 | 6 | 16 | 0 |)] | 32 | 27 | 23 | 0 | 50 | 2 | 4 | 4. | 0 4 | 18 | 103 | 50 | 0 | 14 | , | | | | | ·Qā | 1 | |





हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका,दुर्ग (छ.ग.). 491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेबसाइट: www.durguniversity.ac.in दूरमाष: 0788-2359400

화. / 48ファ / अका. / 2022

दुर्ग, दिनांक 08 /06/2022

प्रति,

प्राचार्य. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

- विषय :- शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत एवं अकादिमक कैलेण्डर के संबंध में।
- संदर्भ :- (01) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी−3, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) का पत्र कमांक 2935/760/आउशि/सम/2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/06/2022
 - (02) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) का पत्र कमांक 2937 / 761 / आउशि / सम / 2022 नदा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07 / 06 / 2022

-- 00 ---

विषयान्तर्गत संदर्भित के तारतम्य में लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए छ.ग. शासन उच्च शिक्षा संचालनालय से प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त एवं अकादिमक कैलेण्डर संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि मूलतः संलग्न है।

उपर्युक्तानसुर संलग्नित पत्र में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दुर्ग, दिनांक 08/06.

पु. क्र. / 4878 / अका. / 2022

प्रतिलिपि:-

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02. कुलपति महोदय के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03. उपकुलसचिव, प्रवेश / परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

04. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने

सचनार्थ प्रेषित।

Samadhan College, Bemetara (CHHATTISGARH) 491335



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक २७३५/७०/ आउशि/सम./2022

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक..... १, ०६/ २७४:

प्रति

 कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय,छत्तीसगढ़।

 प्राचार्य. समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ ।

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सन्न 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का विषय :--

प्रेषण । अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 संदर्भ :--नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.06.2022।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुकम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022-23 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना

सुनिश्चित करें ।

संलग्न –उपरोक्तानुसार। (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग्.) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक .07/06/2022

पृ.कमांक२७३६/१६०/आउशि/ सम/2021 प्रतिलिपि :-

अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च विक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/विलासपुर/जगदलपुर/ 2. क्षेत्रीय अपर संचालक, अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

> उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

users\acer\desktop\desktop\desktop\27-10-2017\letter note sheet 2020 (26-03-2)\letter 05-12-2020.docx1129

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

ःमंत्रालयः

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर

----00-----एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/6/2022

> आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका विषय:--सिद्धांत तैयार करने बाबत।

आपका प्रस्ताव कमांक 2917/760/761/आउशि/सम./2022 दिनांक 31.05. संदर्भ:-

----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2022—23 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

पु क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2

प्रतिलिपि:-

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नदा रायपुर अटल नगर,रायपुर। 1.

निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल 2. नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

गार्ड फाईल। 3.

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Principal 🔪 Samadhan College, Bemetara CHHAT TISCADHI 49133F

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत



छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविधालयों की स्नातक तथा रनातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2022-23

प्रयुक्ति:--1.

- ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एयं 7 के प्रावधान के साथ 1.1 सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। 'प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।
- पवेश की तिथि:-
- प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-2.1

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिघ्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

- (अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्घारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।
- (व) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।
- प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
 - 1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगरत तक प्राचार्य ख्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जायेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की आंतिम तिशि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक व

विभाग, मंत्रालय TATAL PERIMARGDARSHIKA 2022-23



प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :-

सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रकिया में सी.वी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. वोर्ड एंव अन्य वोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुये हैं ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनकों संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहरताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहें हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढा जावे।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक 'ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी मी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्घारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-2.2 विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु दिधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में रथान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- प्रवेश संख्या का निर्धारण :--3.
- महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध 3.1 उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
- विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाव्यकम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार काँसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 यिद्यार्थियों को है। प्रति सेक्शन

(न्यूनुतम 2 सेवशन एवं अधिकतम 5 सेवशन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे।

राभा विभाग, मंत्रालय गुरु क्रिके एक्टर कि में ARGDARSHIKA 2022-23



- .अ सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के
- विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- 4. प्रवेश सूची :--
- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सिहत, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण—पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण—पत्र पर 'प्रवेश दिया गया' की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् रथानांतरण प्रमाण—पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/—अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 28 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमित नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की रिथित में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्यय्नरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

अर्नुभाग अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रावपुर (छ.ग.)

FINAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2022-23



प्रवेश की पात्रता :--

5N निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
 - (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात्ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :--

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आयेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आयेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यकम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो / गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।
 - (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :--

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए-प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थित में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

अनुभाग अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रावपुर (छ.ग.) FINAL PRAVESHI MARGDARSHIKA 2022-2)



- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष जत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के रनातकोत्तर द्वितीय वर्ष में (ख) नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उर्तार्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- रनातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :--(ग)
 - 1. रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 - 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- विधि संकाय नियमित प्रवेश :-5.4
 - स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - विधि रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को (ग) कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।
 - प्रवेश हेत् अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-5.5
 - "विधि रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीम<mark>ा 45% (अनुसूचित</mark> जनजाति / अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विधि रनातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनस्चित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"
 - AICTENCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित 5.6 पाठयक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।
 - समकक्ष परीक्षा :--6.
 - सेन्टल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी 6.1 एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
 - सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ 6.2 युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसँगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ रांज्य के बाहर के किसी भी

विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ ।कुँग्पस

Hall Raye WALRODARSHIKA 2022-23

आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

- सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं 6.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification 6.4 Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक रतर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषय्नों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/ एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/ समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित रतर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअयसर मिल सकें।"

बाह्य आवेदकों का प्रवेश :--7.

स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यकम लागू 7.1 होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में

भाग अधिकारी डच्य शिक्ष विमाग, मंत्रालय

Samadhan College, Bemetara (CHHATTISGARH) 491335

आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रगाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से रनातक स्तर की 7.2 प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों सं रनातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेरटर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी / गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा 7.3 महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व 8. अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :--

स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित 8.1 आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली 8.2 कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यकम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 8.3 प्रतिशत् पूरा न करने याले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अख्यायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। 8.4


पुरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः 8.5 निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

प्रवेश हेतु अर्हताएं :--

किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त 9.1 छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगाभी वर्ष / वर्षो में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र

EGE BEME

भटल नगर नार्जेस इस्प्रिश्टिशीय Rodarstiika 2022-23



· स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण 9.2 चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गंभीर आरोप हो / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र / छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के 9.3 आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

प्रवेश हेत् आय्-सीमा :--9.4

- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यकमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।
- पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में 9.5 लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अविध के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक 9.6 पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्घारण :--10.

उपलब्ध रथानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा। 10.1

- रनातक एवं रनातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिमार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- विधि रनातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालयं में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी। 10.2

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-11.

रनातक / रनातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के 11.1 आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी

विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

अधिकारी ल विमाग, मंत्रालय HEN TIGHATTRAVISH MARGOARSHIKA 2022-23



- विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगंट प्राप्त करन वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये, अन्य कग यथायत रहेगा। ď
- स्नातक रतर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी 11.4 महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।
- किसी एक विषय की रनातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की रनातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में रथान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
- आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-12.
- प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-
 - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् (ख) सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
 - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् (ग) सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्यता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं. तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण (1) 12.2 उर्घ्वाघर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
 - निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्भिको / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथारिथति, उर्घ्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

रवतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्रे, पौत्रियों और नाती / नातिन के ितये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशवत श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत रवान आरक्षित रहेगें ।

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

🕶 शिक्षा विभाग, मंत्रालय ल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

12.3

FINAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2022-23



Principal Samadhan College, Bemetara TICCADULA01335

आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आंधन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें 2.5 यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया 12.7 जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये। 12.8

कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के 12.9 निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत 12.10 सरकार एवं अन्य में पारित निर्णयं दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13.

12.6

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिमार देय होगा, अधिनार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिमार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउद्स रकाउट्स शब्द को रकाउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

एन एस एस. / एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट

एन.एस.एस. / एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट (ख) या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स (T)

राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता (घ) में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को

नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने शिका विभाग, मंत्रालय

नवा रावपुर (छ.ग.) FINAL PRAYESH MARGDARSHIKA 2022-23



02 प्रतिशत

03 प्रतिशत

04 प्रतिशत

०४ प्रतिशत

वाले विद्यार्थी को

(ড) राज्यपाल स्काउटस ०५ प्रतिशत राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत (ज) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट 10 प्रतिशत (झ) 10 प्रतिशत ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट (य) (₹) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय 15 प्रतिशत जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को

13.2 आनर्स विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को रनातकोत्तर

कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर

10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :--

लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को (क)

02 प्रतिशत

व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को (ख)

04 प्रतिशत

उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित (2) अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को

०६ प्रतिशत

व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को (ख)

०७ प्रतिशत

संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को (ग)

०५ प्रतिशत

भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (3) आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :--

य्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त (क)

15 प्रतिशत

करने वाले को

प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम (ख)

12 प्रतिशत

के सदस्यों को

क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को

10 प्रतिशत

ल नगर, नुवा क्रमपुर (छ गू) 13.4 भारता एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल

एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/

FINAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2022-23



Samadhan College, Bemetara (CHHATTISGARH) 491335

कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले वल के सदस्यों को

छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिगोगिता में :--

- छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्य करने वाली टीम के सदस्य को
- प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की 12 प्रतिशन टीम के सदस्यों को
- जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 13.6

01 प्रतिशत

विशेष प्रोत्साहन :-13.7

> छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलिम्पयाड/एशियाड/स्पार्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में क्तीये प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ शासन (1) द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

- यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयायिध के अंतर्रत (2) अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है. परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी वार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सन्न तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर 13.8 प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।
- संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :--14 रनातक / रनातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्घारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय मे स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाग / विषय / गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के संगकक्ष या उससे अधिक हों।

FINAL PRAYESH MARGDARSHIKA 2022-23



शोध छात्र :-ر5

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रयेश दिया जायेगा। पुरतकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की रिधति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयाविध को अधिकतम ४ वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन

आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की रिथति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साध सहपठित करते हुए लागू होगा।

16

जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमित या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिथत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य

को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सन्न के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को

16.4 प्रवेश के बाद सन्न के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त

अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए रपप्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुग्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन

/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अधिकारी स विमाग, मंत्रालय नवा रायपुर (छ.ग)

FINAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2022-23

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) (Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक २९३७/७६१/आउशि/सम./2022

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक... 🗅 🕫 🕰 🗷

प्रति.

1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय छ.ग.।

2. प्राचार्य. समस्त शासकीय महाविद्यालय छ.ग.।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु अकादिमक कैलेण्डर विषयक । अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17-83/2018/38-2 विषय संदर्भ :-दिनांक 06.06.2022

जपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग.जच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 का अकादिमक कैलेण्डर जारी किया गया है, जो मूलतः संलग्न कर प्रेषित है। कृपया उक्त अकादिमक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

प्.कमांक/२९३४ /२६ /आउशि / सम/२०२१ नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ७२ /६६ | २०२२ प्रतिलिपि:-

 अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/ को सूचनार्थ । क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च

अपर संचालक, 2. क्षेत्रीय अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर संचीलक

तच्य शिक्षा संचालनालय,

नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

Me Her)

c:\users\acer\desktop\desktop\desktop\desktop\27-10-2017\letter note sheet 2020 (26-03-2)\letter 05-12-2020.docx1130



Samadhan College, Bemetara (CHHATTISGARH) 491335

छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग

:मंत्रालय:

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

रायपुर

Email-higher-education@cg.gov.in

एफ 17-83/2018/38-2

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, ०६/६ /२०७. 2

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषय:--संदर्भ:- शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु अकादिमक कैलेण्डर विषयक। आपका प्रस्ताव कमांक 2917/760/761/आउशि/सम./2022 दिनांक 31.05.

2022

....00.....

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के संबंध में छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग, के अंतर्गत संचालित छ.ग. के शैक्षणिक संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र 2022–23 का अकादिमक कैलेण्डर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- यथोपरि।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,

क्रमांक एफ 17-83/2018/38-2

प्रति.

 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

2. निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

 विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित

4. गार्ड फाईल।

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग



उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन शैक्षणिक सन्न 2022-23 का अकादिमक केलेण्डर

| Ñ. | | विवरण | रिधियाँ | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | प्रवेश प्र | क्रिया (महाविद्यालय स्तर पर) | | | | | | | | |
| | (ক) | स्नातक प्रथम वर्ष हेतु | 16.06.2022 से 16.08.2022 तत | | | | | | | |
| | (ভ) | अन्य कक्षाओं हेतु | 16.06.2022 से 15.07.2022 या परीक्षा परिणा घोषित होने के उपरान्त 10 विश के भीतर | | | | | | | |
| | (ग) | प्रवेश प्रकिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइ | न पद्धति से | | | | | | | |
| 2 | कुलपरि | ते की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि | 26 अगरत, 2022 तक | | | | | | | |
| 3 | नियमि | त कक्षायें प्रारंभ | 01.07.2022 से | | | | | | | |
| 4 | वार्षिक | परीक्षाओं का आयोजन | 11 मार्च, 2023 से 01 मई, 2023 | | | | | | | |
| 5 | सभी व | गर्विक परीक्षा परिणामों की घोषणा | 16.06.2023 तक | | | | | | | |
| 6 | पुनर्मूल | यांकन के सभी परिणामों की घोषणा | 31.08.2023 तक | | | | | | | |
| 7 | पूरक | परीक्षा का आयोजन | न्यूनतम समय में | | | | | | | |
| В | पूरक | परीक्षा के परिणामों की घोषणा | 31.10.2023 तक | | | | | | | |
| 9 | छात्रस | घ गतिविधियाँ | | | | | | | | |
| | (ক) | छात्रसंघ गठन प्रकिया एवं शपथ ग्रहण | 03.09.2022 से 09.09.2022 छात्रसंघ गठन हेतु धुनाव/मनोनयन, शासन के निर्देशानुसार | | | | | | | |
| 10 | खेलव | टूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ : | | | | | | | | |
| _ | (ক) | खेलकूद प्रतिस्पर्घा प्रांरम्भ (इंडोर आउटडोर) | 18.07.2022 社 | | | | | | | |
| | (ख) | खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर) | 20.12.2022 ्तक | | | | | | | |
| | (π) | महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण | 21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई दो दिन | | | | | | | |
| 11 | एन र | १).सी. /एन.एस.एस. एवं अन्य गतिदिधियाँ :- | | | | | | | | |
| | (ক) | वृक्षारोपण कार्यकम | जुलाई, 2022 के द्वितीय सप्ताह | | | | | | | |
| | (ख) | महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन | 21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई एक दिन | | | | | | | |
| | (ग) | एनसीसी/एनएसएस कैम्प का आयोजन | 24.12.2022 से 31.12.2022 तक | | | | | | | |
| | (u .) | दीक्षान्त समारोह | जनवरी∸फरवरी, 2023 | | | | | | | |

अनुभाग अधिकारी उच्य शिक्षा विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.



| 1 | विवरण | तिथियाँ | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| अवर | जारा | | | | | | | |
| (31) | दशहरा अवकाश (3 दिन) | 03.10.2022 से 05.10.2022 तक | | | | | | |
| (=) | दीपावली अवकाश (3 दिन) | 24.10.2022 से 26.10.2022 तक | | | | | | |
| (स) | शीतकालीन अवकाश (3 दिन) | 24.12.2022 से 26.12.2022 रायः | | | | | | |
| (द) | | 16.05.2023 से 15.06.2023 तक | | | | | | |
| | तरिक परीक्षाओं का कार्यकम | | | | | | | |
| 1 | प्रथम यूनिट परीक्षा | 01.09.2022 | | | | | | |
| 2 | द्वितीय यूनिट परीक्षा | 30.09.2022 | | | | | | |
| 3 | तृतीय यूनिट परीक्षा | 05.11.2022 | | | | | | |
| 4 | प्रथम सत्र/सेमेस्टर परीक्षा | 24, 25, 26 नवम्बर, 2022 | | | | | | |
| 5 | चतुर्थ यूनिट परीक्षा | 19.12.2022 | | | | | | |
| 6 | Toffer maker | 28, 29, 30 दिसम्बर, 2022 | | | | | | |
| 7 | 2 | 27, 28, 30 जनवरी, 2023 | | | | | | |
| 14 2 | ार्षिक परीक्षा कार्यकम | | | | | | | |
| | वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन | माह फरवरी, 2023 | | | | | | |
| 1 | C - C | मार्च, 2023 प्रथम सप्ताह से | | | | | | |

नोट:- अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादिमक केलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :--

- प्रत्येक विषय में ऑफलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपिश्वित अनिवार्य है।
- 2. कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं कक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना अनिवार्य है विना इसके यार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाये।
- एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सिम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाये।
- कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जाये।
- कम उपिश्यित वाले छात्रों को तथा उनके पालको को सूचना दी जाये।
- कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जाये।

Or

अनुभाग अधिकारी अटल नगर, नवा

(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए)

| | (Haltor diana | and the second of the second o |
|----------------------|--|--|
| अकादमिक कार्य | स्नातक/स्नातकोत्तर (MIMV/VIMX सेमेस्टर) | स्नातक/स्नातकोत्तर (॥/١٧/٧॥/X सेमेस्टर) |
| प्रवेश प्रकिया | 16 जून से 30 जून, 2022 | - 0000 |
| कक्षाओं का आरम्भ | 1 जुलाई, 2022 | 16 जनवरी, 2023 |
| प्रायोगिक परीक्षाएँ | 24 नवम्बर, 2022 से | 24 अप्रैल, 2023 रो |
| परीक्षा पूर्व तैयारी | 25 नवम्बर, 2022 से 10 दिसम्बर, 2022 तक | 25 अप्रैल, 2023 रो 10 मई, 2023 तक |
| लिखित परीक्षाएँ | 11 दिसम्बर, 2022 से | 11 मई, 2023 से |
| परीक्षा परिणाम | 15 जनवरी, 2023 | 15 जून, 2023 |

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

- प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह प्रातः कालीन पाली के लिए -1.
- प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या द्वितीय कालीन पाली के लिए -2.
- 07 घण्टे का कार्य विवरण 3. 6 घण्टे अध्ययन–अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)
 - 1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिकियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)
 - समस्त प्रकार की बैठक / स्टॉफ कौंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् 4. आयोजित की जावे।
 - विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य 5. का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।
 - छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियाँ 6.

प्रदान करेंगें।

Principal

Samadhan College, Bemetara (CHHATTISGARH) 491335

यदि पाठ्यकम पूर्ण नहीं हुआ है तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करणे को लिए अध्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय यृद्धि की जाने। आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन—अध्यापन की पद्धति में सूचना जीशोनिकी का यथोचित विस्तार किया जाये।

02

8.

Deringer Office

52

अनुभाग अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.गू.)

IQAC CANTES * SELECTION

Samadhan College, Bemetara

College SAMADINAN COLLEGE Programme 8 Ed

| and DASE CO | Entrict_Name | CRG Name | Course_Type_ Name | Course Na me | DRG_Code | Total_No_ Of_Seats | UN | un I | UM_DA | URUTE | UICO | onc | ONC_F | ORC_DA | ORC_FF | cec_D | sc | SCF | SC_DA | SC, FF | SC_D | ST | st J | ST_DA | ST_FF | ST_D |
|-------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------------|----|------|-------|-------|------|-----|-------|--------|--------|-------|----|-----|-------|--------|------|----|------|-------|-------|------|
| 114125 | bears. | SAMADHAN COLLEGE | Bid | #.ta | 114335 | 100 | ш | ű | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | a | 0 | 0 |



State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh Shankar Nagar, Raipur



राज्य शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 0771-2443496 Website; www.scert.cg.gov.in Email scertcg@gmail.com

पत्र क्र./शिक्षक शिक्षा/30-1/1/बी.एड./प्रवेश/2022-23 26 प्रेप् रायपुर दिनांक 22/07/25

द्विवर्षीय बी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम 2022 की सूचना

राज्य के एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम 2022—23 में प्रवेश प्री बी.एड. परीक्षा 2022 के प्राप्तांक के आधार पर व्यापम द्वारा जारी संयुक्त मेरिट क्रम के अनुसार ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निम्नानुसार किया जा रहा है—

ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम (बी.एड.)

| क | विवरण चरणवार | बी. | एड. |
|----|--|------------|------------|
| | | दिनांक से | दिनांक तक |
| | प्रथम चरण | | |
| 1 | पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म जमा करने की तिथि। | 29.07 2022 | 07.08.2022 |
| 2 | प्रथम चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति। | 12.08 2022 | 16.08.2022 |
| 3 | प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी करना। | 18.08 2022 | |
| 4 | प्रथम चरण की सूची में आबंटित अन्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। | 18.08 2022 | 25.08.2022 |
| 5 | रिक्त सोटों की जानकारी | 26.08 2022 | |
| 6 | प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति। | 31.08 2022 | 01.09.2022 |
| 7 | प्रथम घरण की द्वितीय सूची जारी करना। | 05.09 2022 | |
| 8 | प्रथम चरण की द्वितीय सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के | 05.09.2022 | 09.09.2022 |
| | लिए निर्धारित तिथि। | | |
| 9 | रिक्त सीटों की जानकारी | 12.09.2022 | |
| | द्वितीय वरण | | |
| | | | |
| 10 | पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म जमा करने की तिथि। | 13.09.2022 | 17.09.2022 |
| 11 | | 21.09 2022 | 22.09.2022 |
| 12 | द्वितीय चरण की प्रथम सूची जारी करना। | 24.09 2022 | |
| 13 | द्वितीय चरण की सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। | 24.09 2022 | 29.09.2022 |
| 14 | रिक्त सीटों की जानकारी | 30.09.2022 | |
| 15 | द्वितीय चरण की दूसरी सूची दावा आपक्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति | 06.10 2022 | 07.10.2022 |
| 16 | द्वितीय चरण की दूसरी सूची जारी करना। | 11.10.2022 | |
| 17 | द्वितीय चरण की दूसरी सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। | 11.10 2022 | 14.10.2022 |
| 18 | रिक्त सीटों की जानकारी | 17.10 2022 | И. |

J.

IQAC



| 1 | तृतीय चरण | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 19 | अंतिम चरण हेतु पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म जमा करने की तिथि (इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों के लिए) | 19.10.2022 | 22.10.2022 |
| 20 | तृतीय वरण की सूची जारी करना। जारी सूची के अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना | 28.102022 | |
| 22 | नहाविद्यालय द्वारा मेरिट सची जारी करना। | 01.11.2022 02.11.2022 | |
| 24 | निर्मातिक क्षिप्र किया गरिका किया किया किया किया किया किया किया क | 02.11.2022 09.11.2022 | 07.11.2022 10.11.2022 |

नोट :--

- 1. अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण के छायाप्रति को support.slcm@cgchips.in पर भेजकर दावा आपत्लि कर सकते है।
- आबंटन प्रक्रिया सीटों की रिक्तता, संयुक्त मेरिट रैंक तथा अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर किया जाता है। इस कारण आबंटन प्रक्रिया में सम्मिलित होने मात्र से सीटों के लिए अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकते।

2. आवश्यक दिशा निर्देश -

आबंटन प्रक्रिया हेतु संक्षिप्त आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं-

2.1. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता :-

छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम 2006 अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय स्नातक / स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्र होगें। इंजीनियरिंग वाले प्रकरण में या बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी. को छोड़कर अन्य रनातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक पात्रता के लिए आवश्यक होगा। छ. ग. राज्य के आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/ महिला/EXSR/FF/दिव्यांग) के अभ्यर्थियों को बी.एड.प्रवेश नियम के अनुसार अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। स्नातक में आनर्स वाले प्रकरण में अभ्यर्थी को स्नातक ने एकीकृत प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता हा जावेगी।

2.2 बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट क निर्धारण प्री. बी.एड. परीक्षा 2022 के प्राप्तांक के आधार पर व्यापम द्वारा जौरी संयुक्त मेरिट क्रम के अनुसार किया जा रहा है।

बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी का स्नातक में प्राप्तांक 50 प्रतिशत से कम है तो उस अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक (न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक) के आधार पर होगी।

2.3 ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होगी :--

 प्री. वी.एड. परीक्षा 2022 का अंकसूची (इंटरनेट कापी भी मान्य है) में अंकित प्री बी.एड. परीक्षा का रोल नंबर प्रविष्ट करना होगा।

II. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मात्र होने हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त है तो तीनों वर्षों की अंकसूची और यदि स्नातकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नातकोत्तर के

दोनों वर्षों के अंकों की प्रविष्टि होगी।

(CHHATTISGARH) 491335

जन्मतिथि हेतु 10वीं / 12वीं की अंकसूची या सक्षम प्राधिकारी / संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि की प्रविष्टि करनी है। बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी को 31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में न्यूनतम 20 वर्ष का होना चाहिए।

ाथ. आरक्षित वर्ग, व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र।

v. छ.ग. शासन बी.एड. प्रवेश नियम 2006 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र। इसके अभाव में अभ्यर्थी को अखिल भारतीय कोटे के लिए आबंटन प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

3. ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :--

अभ्यर्थी छ.ग. बी.एड. प्रवेश नियम 2006 का अध्ययन कर लेवे, आबंटन प्रक्रिया इसी नियम अनुसार किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) जहां पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर, किसी सायवर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर पर कर सकते हैं। कम्प्यूटर सिस्टम में chrome 22/Firefox अथवा उससे उच्च क्षमता वाले ब्राउजर का होना आवश्यक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये, जैस – प्री.बी.एड. परीक्षा की अंकसूची, 10+2 की अंकसूची, स्नातक/स्नातकोत्तर की अंक सूची (अर्हकारी परीक्षा का प्राप्तांक भरने के लिए व प्री. बी. एड. परीक्षा 2022 का रोल नंबर प्रविष्टि के लिये) संस्थाओं एवं संस्थाओं में उपलब्ध सीटों की सूची वेबसाइट के होम पेज पर भी दी जायेगी उसका अवलोकन करें।

3.1 ऑनलाइन रिजस्ट्रेशन के लिये आपको निम्न चर्ण (steps) करने होंगे।

Step - 1

- 1- सबसे पहले उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट http//scert.cg.gov.in में जाकर काउंसलिंग के लिए निर्घारित साइट के लिंक का उपयोग https://slcm.cgstate.gov.in/SCERTOnline/ में जायें।
- 2- रक़ीन के दाहिने भाग में बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए Apply का बटन क्लिक कर अपना पंजीयन करें। इस हेतु दिशा निर्देश चिप्स के साइट में भी दिये गये है। अगले स्क्रीन पर आपको Homepage पर कई जानकारियाँ दी गई है। जैसे – समस्त संस्थाओं की सूची, संस्थाओं की फीस की जानकारी एवं काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी आदि। इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें।
- 3- स्क्रीन के दाहिने भाग में New Registration पर क्लिक करें। एवं नियम व शर्तों को पढकर आगे बढ़े। अगले स्क्रीन पर स्थायी राज्य चुने (Domicile State) अगले स्क्रीन पर Mobile Number Tab पर आपको अपना नंबर भर कर Verify Tab पर विलक करें, क्लिक करने के पश्चात् आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP (One Time Password) प्राप्त होगा। उस अंक को OTP Box में भरकर Verify Tab पर क्लिक करें। अब आपका मोबाइब नंबर वाला Tab Verified हो गया। इसके बाद प्री. बी.एड. परीक्षा 2022 का रोल नंबर, जन्मतिथि एवं इसके नीचे आपकी अपना Password Create करना होगा। आप अपने सुविधानुसार कोई भी पासवर्ड जिसे आप आसानी से याद रख सकें। पासवर्ड न्यूनतम 06 digit तथा न्यूनतम 01 अंक शामिल होना चाहिये Submit पर विलक करें।

Samadhan College, Bemetara (CHHATTISGARH) 491335

- टीप 1. आवेदन करते समय आपके पास मोबाइल होना अनिवार्य है जिसमें OTP (one . time password) भेजा जायेगा।
 - 2. Password दिए गए प्रारूप के अनुसार ही रखें।
- 4- अगले स्क्रीन पर आपको अपना Login ID नंबर दिखाई देगा इसे सुरक्षित नोट कर लें, तथा इसे किसी को न बताये एवं प्रिंट आउट लेकर रख लेवें।
- 5- इसके पश्चात Login Tab पर विलक करें।
- 6- इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगा उसमें आपको Login ID, आपके द्वारा सेट किया हुआ पासवर्ड और Captcha Code भरकर इन्टर करना होगा।
- 7- इसके पश्चात् नियम व शर्तों को पढ़कर आगे बढ़े।
- 8- इसके पश्चात आपको अपना Dashboard प्रदर्शित होगा।

Step - 2

- 1. इसके पश्चात् आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी तथा शैक्षणिक अर्हता की जानकारी भरनी होगी।
- 2. शैक्षणिक अर्हता में स्नातक की जानकारी प्रविष्ट करना है परन्तु यदि अभ्यर्थी ने दो वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त की है या जिनकी पात्रता स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर पात्रता बनती है तो उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा की जानकारी प्रविष्ट करना होगा।
- 3. प्राप्तांक की जानकारी सावधानी पूर्वक प्रविष्ट करें क्योंकि यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्राप्तांक में भिन्नता पाई जाती है तो आपका उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायगी।
- 4. संवर्ग में FF/EXSE/दिव्यांग अभ्यर्थी को संवर्ग संबंधित प्रमाण पत्र की सापटकापी अपलोड करना होगा।
- उपरोक्त समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक भरे क्योंकि एक बार फार्म ऑनलाइन Submit व पेमेन्ट करने के बाद Edit की सुविधा नहीं है।

Step - 3

- I. काउसंलिंग सीट्स आबंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के लिए काउंसलिंग शुल्क 350/- की राशि जमा करना आनेवार्य होगा यह राशि payment गेटवे के माध्यम से किसी भी बैंक के खाते से भरी जा सकती है। यदि फार्म जमा करने का अंतिम दिवस नहीं है तो Payment फेल होता है तो एक दिवस रूककर दूसरा Payment करें। Payment के लिए एक से अधिक गेटवे दिये गये हैं। इस कारण ऑनलाइन फार्म भरने के लिए अंतिम दिवस का इंतजार न करें।
- II. पेमेंट के पश्चात् होमपेज पर पुनः जाकर Applicant Login पर विलक कर Login करें एवं जिस संस्था में प्रवेश लेने के लिये आप विकल्प भरना चाहते हैं उसे Select Tab में जाकर चुन लें। आप जितने चाहें उतनी संस्थाओं दे सकते हैं। (कम से कम एक संस्था का नाम देना अनिवार्य है परंतु आपको सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक सस्थाओं का नाम दें) जहां वास्तविक रूप से आप प्रवेश लेना चाहते हैं।
- III. शासकीय व अनुदान प्राप्त महाविद्यालय का विकल्प छत्तीसगढ़ के मृल निवासी अभ्यर्थी ही दे सकते है।
- IV. निजी संस्था में यह बाध्यता नहीं हैं। चुनो हुई संस्थाओं के नाम उपर प्रवर्शित हो जायेगें। आप कितने ही संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं परंतु आबंटन केवल आपके भेरिट क्रम

IQAC A

Principal Samadhan College, Bernetara

- के आधार, महाविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता एवं आपके द्वारा दिये गये प्राथमिकता क्रम के आधार पर केवल एक ही संस्था के लिये होगा। इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद तब अंत में Submit में विलक करें।
- V. आपके द्वारा चुने हुए संस्थाओं की सूची दिखाई देगी। आपके द्वारा चुने हुये संस्थाओं के क्रम में ही आपको संस्था आबंदित होगी। अगर आप विकल्पों को बदलना चाहते है तो Fillup/Modifiy Choices Tab में जाकर बदल सकते है। अगर आप किसी एक विकल्प को हटाना चाहते है या सभी विकल्पों को हटाना चाहते है तो निर्धारित Tab पर क्लिक करें इससे पुराने क्रम मिट जायेंगे। अब उपरोक्तानुसार ही प्रक्रिया कर पुनः सभी विकल्पों का नवीन क्रम दे दें। जब आप आश्वस्त हो जायें कि अब क्रम सही है तो अत में Save पर विलक करें। इसके पश्चात आप अपने विकल्पों को बदल सकते है और नये विकल्प जोड़ सकते है।

Step - 4

इसके पश्चात स्क्रीन पर बटन पर Print Application And Option Form क्लिक करें। इससे आपका फार्म प्रदर्शित होगा, जिसमें आपका फोटो और आपके द्वारा भरी गया सभी जानकारियां एवं विकल्प भी रहेंगे। इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है। यदि प्रिंट लेने के पश्चात आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के कम में कोई बदलाव किया जाना है तो यह बदलाव तब तक किया जा सकता है जब तक विकल्पों को लॉक नहीं कर दिया जाता। यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फार्म स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं नये-विकल्प फार्म में-सिर्फ-Version No बदल जायेगा। Version No. Application Form के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर बीच में दिया रहता है। निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं। परंतु इसके पश्चात विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी। जो विकल्प फार्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फार्म का अंतिम Version ही मान्य किया जायेगा। इसके पूर्व के विकल्प नहीं।

टीप :-

- 1. यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का क्रम भरा गया है वह उसके स्वयं के इच्छा एवं विवेक से भरा गया है। किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहूने पर नहीं भरा गया है। सलाह दी जाती है कि विकल्प भरने से पहले अपना संस्था का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें। जिससे विकल्प भरते समय ज्यादा कठिनाई न हो एवं ज्यादा समय न लगे।
- 2. यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म में कोई त्रुटि होती है तो अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- विकल्प लॉक करने के पहले यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसे सुधार किया जा सकता है परन्तु विकल्प लाक करने के पश्चात् त्रुटि सुधार नहीं होगा।
- 4. विकल्प लॉक करने के बाद भी त्रुटि सुधार नहीं हुआ है तो पुनः शुल्क जमा कर पंजीयन एवं विकल्प फार्म जमा करना होगा।

4. न्दस्तावेज परीक्षण करना (Document Verification) :- दस्तावेजों का परीक्षण आबंटित संस्था / महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

CHHAT ISGARH) 491335

5.1 सीट्स आंबटन :- निश्चित तिथि को अन्यर्थियों के द्वारा दिये गये संस्थाओं / महाविद्यालयों के विकल्प एवं संस्थाओं / महाविद्यालयों में उपलब्ध सीट्स एवं अभ्यर्थी के प्री.बी.एड. परीक्षा 2022 के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई संयुक्त मेरिट रैंक के अनुसार महाविद्यालयों में सीट्स आबंटन किया जायेगा।

5.2 इस बार प्रथम व द्वितीय चरण के आवंटन प्रक्रिया में एक—एक बार ही विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा कराये जायेंगे और प्रत्येक चरण में तीन सूची जारी की जायेगी। यदि प्रथम चरण में अभ्यथी को कोई महाविद्यालय में सीट्स आबंटित होता है तो उन्हें उस महाविद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक होगा, प्रवेश नहीं लेने पर उस अभ्यर्थी का नाम अगली सूची में नहीं आयेगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया अगले चरण व सूची में भी रहेगी।


6. 6.1 आबंटन की सूचना निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते है।

- (a) SMS के द्वारा सूचना दी जायेगी। SMS प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी SCERT की नहीं होगी।
- (b) अभ्यर्थी अपने Login में जाकर अपना ID एवं पासवर्ड डालकर अपना आबंटन पत्र देख सकते है एवं उसका प्रिंट निकाल सकते है। इस आबंटन पत्र को लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें।
- (c) वेबसाइट में अपना विकल्प फार्म क्रमाक Submit कर भी आबंटन देख सकते हैं। चयन की किसी प्रकार की सूचना डाक के द्वारा नहीं दी जाएगी।
- (d) अस्थाई आबंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित तिथि तक इस आबंटन पत्र व आवश्यक दस्तावेजों की मूलप्रति व छायाप्रति के साथ आबंटित महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले सकते है।

6.2 चयनित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया :--

- a) अभ्यर्थी को आबंटित संस्था/महाविद्यालय में अस्थाई आबंटन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने के लिए निधांति तिथि में उपस्थित होना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी आबंटन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
- b) संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर उन्हें प्रवेश दिया जायेगा। अगर मृल दस्तावेजों में कोई कमी या शुटि पाई जाती है तो उसका चयन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर कि संस्था/महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है तथा वे ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया फीस की रसीद अनिवार्यतः प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया फीस की रसीद नहीं होने की स्थिति में प्रवेश अमान्य माना जायेगा।
- c) पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि महाविद्यालय प्रवेश का प्रिश्चिवस ऑनलाइन अपडेट नहीं करते हैं। जिसके करण महाविद्यालय पहुंचकर शुल्क जमा कर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश अंतिम दिवस तक ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को प्रवेश से विवित होना भी पड़ सकता है। इस कारण अभ्यर्थी

III LW



- अपने प्रवेश को आनलाइन अपडेट कराना सुनिश्चित करावें। महाविद्यालय ध्यान देवे इस प्रकार की गलती होने पर उसके विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी।
- अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के प्राप्तांक में दी गई जानकारी का सत्यापन उनके अंकसूची से किया जायेगा। अंतर पाये जाने पर अभ्यर्थी का आबंटन निरस्त होगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- e) संस्था/महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लेवें। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर संस्था/महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- f) चयनित अभ्यर्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित अविध में संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है तथा चयन निरस्त नहीं करता है तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अभ्यर्थी अपने Login में जाकर अपना चयन एक बार निरस्त कर सकता है।
- प्रवेश लेने के पश्चात् संस्था/महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
- महाविद्यालय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश के दिवस में भी संस्था को खुला रखे।

6.3 अगले चरण के प्रक्रिया के संबंध में :-

- प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फार्म जमा किये जायेगे।
- II. यदि अभ्यर्थी आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता तो वह एक बार अपने Login में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अन्य विकल्प के साथ आबंटन के लिए विचार किया जायेगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा। परन्तु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
- III. जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वे दिये गये महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते है ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है, उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आबंटन के लिए विचार किया जाग्नेगा। परन्तु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते है तो वे अपने login में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फार्म में अपना विकल्प बदल सकते है।
- IV. यदि अभ्यर्थी अपना आबंटन/चयन निरस्त कर दिये गये महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है तो वह अगले चरण में पुनः आबंटन फार्म अपने login में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नही लिया और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जायेगा।
- V. यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने सुविधा ले लिया है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फार्म भरना होगा।
- VI. जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में Not Reported या किसी अन्य कारण से बाहर हो गये है वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा।

Samadhan College, Bemetara

4

- VII. तृतीय चरण में शामिल होने के लिए किसी भी महाविद्यालय में अप्रवेशित प्री.बी.एड. परीक्षां . 2022 के पात्र इच्छुक अभ्यर्थियों को पलायन व विकल्प फार्म भरना आवश्यक होगा तथा प्रथम व द्वितीय चरण के लिए अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित नहीं किया गया है उन्हें भी शाभिल किया जायेगा।
- VIII. आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फार्म नहीं जमा कर सकेगा।
- IX. तृतीय चरण के लिए नियम व शर्ते पृथक से बाद में एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर के वेबसाइट में दिया जायेगा।

टीप:-

- 1. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
- बी.एड. पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में सीटों का आरक्षण शासन के वर्तमान में लागू नियम के तहत होगा।
- आबंटन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी।
- 4. विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया, नियम व शर्ते व शुल्क तथा महाविद्यालयों की सूची SCERT रायपुर के वेबसाइट http://scert.cg.gov.in में अभ्यर्थी देख सकते है। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीयन करने के पूर्व इन नियमों, शर्तों का अध्ययन अवश्य कर लेवें तथा यह सुनिश्चित कर लेवें कि वे इन पाठ्यक्रमों के लिए पात्र है।
- 5. अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन का विकल्प फार्म SCERT के वेबसाइट में उपलब्ध आनलाइन जाकर CHIPS के वेबसाइट के लिए दिये गये लिंक का उपयोग कर या विष्स Website https://slcm.cgstate.gov.in/SCERTOnline/ में सीधे निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे।

6. पूछताछ व दावा आपित्ति अभ्यर्थी ईमेल support.slcm@cgchips.in में तथा पूछताछ के लिए दूरभाष क्रमांक 7470470609 एवं 7587499921 में कार्यालय दिवस को सुबह 10 से 5.30 बजे तक संपर्क कर सकते है।

(राजेश सिंह राप्पे मा.प्र.से)

् **संचा**लक

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

0-1H

Principal amadhan College Re

Samadhan College, Bemetare (CHHATTISGARH) 491335